

# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद

दिनांक 23.05.2021

आदेश

(संख्या:- 249/2021)

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1957/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad /Dated: 22.05.2021 के द्वारा जनपद न्यायालयों में कार्य करने के सम्बन्ध में नवीन गाइडलाइन जारी की गयी है। उक्त पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अग्रिम आदेश तक जनपद न्यायालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुल संख्या 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अतः जिन न्यायिक अधिकारीगण की ड्यूटी दिन विशेष पर लगी होगी उस दिन उसी न्यायालय के रीडर व लिपिक में से एक, आशुलिपिक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे तथा प्रशासनिक कार्यालय में दो तृतीय श्रेणी कर्मचारी व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नजारत अनुभाग में तीन तृतीय श्रेणी कर्मचारी (एक कैशियर एवं दो अन्य), दो कर्मचारी लेखा अनुभाग में तथा कम्प्यूटर अनुभाग से दो तृतीय श्रेणी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

*P. L. 23/5/21*  
प्रभारी जनपद न्यायाधीश

गाजियाबाद  
District Judge  
Ghaziabad